Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
'वर्कचार्ज" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-www.pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 387 /23का0प्र0–अधि0/2017 दिनांक– 17/07/2020

"कार्यालय–ज्ञाप"

इस कार्यालय के पत्र संख्या–360/23का0प्र0–अधि0/20 दिनांक–10.07.2020 के द्वारा एस0एल0पी0 (सिविल) संख्या– 4371/2011 प्रेम सिंह बनाम, उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक–02.09.2019 के अनुपालन हेतु वर्कचार्ज कार्मिकों को पेंशन का लाभ अनुमन्य किये जाने के लिए वेतन निर्धारण/पेंशन की जांच तथा परीक्षण का कार्य अत्यन्त तत्परता/समयबद्धता के साथ सम्पादित किये जाने हेतु विभिन्न कार्यालयों को इस कार्यालय में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार उपस्थित होने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष समयवृद्धि हेतु प्रस्तुत रिव्यू पिटीशन पर दिनांक–21.05.2020 को पारित आदेशो के अनुसार नई टाईम लाईन के अनुसार समयवृद्धि प्रदान की गई है जिसके अनुसार सर्व प्रथम दिनांक–30.06.2020 तक ऐसे कार्मिकों को पेंशनरी लाभ दिया जाना है जिनके अथवा मृत्यु की दशा में उनके आश्रित द्वारा विभिन्न मा0 न्यायालयों में वाद दायर किये गये हैं। उक्त अनुमन्य टाईम लाईन के अनुसार द्वितीय चरण में दिनांक–01.07.2020 से दिनांक–01.10.2020 तक ऐसे सभी सेवानिवृत्त कार्यप्रभारित कार्मिको को पेंशनरी लाभ प्रदान किये जाने हैं जिनके द्वारा उक्त सम्बन्ध में वाद दायर नहीं किये गये हैं तथा उनके सेवा अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध हैं। शासनादेश संख्या– 64/XXVII(6)–टी0सी0–594/9/2014/2020 दिनांक–04.05.2020 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के वित्त नियन्त्रक के द्वारा पेंशन/पेंशनरी लाभ के प्रकरण अनुमोदित किये जाने हैं।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत सन्दर्भित पत्र संख्या–360/23का0प्र0–अधि0/20 दिनांक–10.07.2020 द्वारा पेंशन प्रकरणों की जांच/परीक्षण/पर्यवेक्षण हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय में वृत्तवार/खण्डवार पुनर्निर्धारित समय सारणी के अनुसार वित्त नियन्त्रक के परीक्षण करने से पूर्व पेंशन सम्बन्धी प्रकरणों की जॉच/परीक्षण/पर्यवेक्षण हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय के कार्मिकों को निम्नानुसार नामित किया जाता है–

टीम सं0	जांच/परीक्षण कार्य हेतु नामित कार्मिक		निर्धारित तिथि	वृत्त जिनके अधीनस्थ कार्यालयों के प्रकरणों का परीक्षण किया जाना है	पर्यवेक्षक अधिकारी का नाम/ पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री बिरेन्द्र सिंह खत्री, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	जगदीश सती, प्रशासनिक अधिकारी	27.07.20 से 31.07.20	प्रथम वृत्त अल्मोड़ा	श्री बी0सी0 बमराड़ा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
2	श्री रमेश चन्द्र जोशी, प्रशासनिक अधिकारी	श्री महेश चन्द्र काण्डपाल, प्रधान सहायक	23.07.20 से 25.07.20	छठा वृत्त, उत्तरकाशी 11वां वि0/यां0 वृत्त, देहरादून	
			04.08.20 से 07.08.20	08वां वृत्त, टिहरी ए0डी0बी0 वृत्त टिहरी पी0एम0जी0एस0वाई वृत्त मसूरी	
			24.08.20 एवं 25.08.20	तृतीय वृत्त, पिथौरागढ (नि0ख0 अस्कोट)	
3	श्री मनोज चतुर्वेदी, प्रशासनिक अधिकारी	श्री राहुल काला कनिष्ठ सहायक	13.07.20 से 16.07.20 तथा 20.07.20 से 23.07.20	नवम् वृत्त देहरादून	
			17.07.20 से 18.07.20	चतुर्थ वृत्त उधमसिंहनगर 5वां वि0/यां0 वृत्त हल्द्वानी	
			25.08.20 एवं 26.08.20	तृतीय वृत्त, पिथौरागढ (प्रा0ख0 डीडीहाट)	

4	श्री राकेश पंवार, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	श्री भूपाल सिंह किरौला प्रधान सहायक	08.08.20 से 10.08.20	10वां रा0मा0 वृत्त देहरादून सिविल वृत्त, हरिद्वार	श्री वाई0एस0 रावत, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
			17.08.20 से 22.08.20	द्वितीय वृत्त नैनीताल रा0मा0 वृत्त हल्द्वानी	
			26.08.20 एवं 27.08.20	तृतीय वृत्त, पिथौरागढ (प्रा0ख0 चम्पावत)	
5	श्री भगत सिंह मेहरा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	श्री अरविन्द रावत, वरिष्ठ सहायक	20.07.20 से 22.07.20	12वां वृत्त पौड़ी	
			12.08.20 से 14.08.20	07वां वृत्त, गोपेश्वर	
			27.08.20 एवं 28.08.20	तृतीय वृत्त, पिथौरागढ (अ0ख0 बेरीनाग / प्रा0ख0 पिथौरागढ़ / नि0ख0 लोहाघाट)	

उपरोक्त तालिका के स्तम्भ–(5) में उल्लेखित कार्यालयों से प्राप्त पेंशनरी लाभ के प्रकरणों का परीक्षण स्तम्भ–(2) एवं (3) पर उल्लिखित टीम के कार्मिकों द्वारा करने के उपरान्त स्तम्भ–(6) में उल्लिखित अधिकारी के माध्यम से वित्त–नियन्त्रक, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून को अनुमोदन हेतु ससमय प्रस्तुत करेंगे। वित्तीय नियमों के आलोक में पेंशन सम्बन्धी प्रकरणों की जांच / परीक्षण कार्य हेतु कार्मिकों को इस कार्यालय के लेखा वर्ग में कार्यरत लेखाकारों / सहायक लेखाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार समुचित जानकारी सम्बन्धी सहयोग भी समय–समय पर प्रदान किया जायेगा।

उपरोक्त तालिका के स्तम्भ–(5) में वर्णित कार्यालयों के अधिशासी अभियन्ता / खण्डीय लेखाधिकारी / भिज्ञ अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत पेंशन प्रकरणों में उल्लेखित आपत्तियों का निराकरण सम्बन्धित कार्यालय के भिज्ञ अधिकारी द्वारा यथासम्भव विभागाध्यक्ष कार्यालय में ही किया जायेगा।

ह0/=

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय को सूचनार्थ।
2– वित्र नियंत्रक, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।
3– मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय / रा0मा0 / ए0डी0बी0 कार्यालय, लो0नि0वि0, पौड़ी / अल्मोड़ा / हल्द्वानी / देहरादून को अपने अधीनस्थ कार्यालय को सूचित करने हेतु प्रेषित।
4– वरिष्ठ स्टाफ आफिसर(अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।
5– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ... वृत्त, लो0नि0वि0......................को अपने अधीनस्थ कार्यालय को सूचित करने हेतु प्रेषित।
6– अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।
7– अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0 सेल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र आज ही विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करते हुए समस्त कार्यालयो को ई–मेल करना भी सुनिश्चित करें।
7– समस्त अधिशासी अभियन्ता,................., लो0नि0वि0............................ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी I / II, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।
9– सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।
10– सम्बन्धित कार्मिक श्री..,विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।
11– गार्ड पत्रावली।

17/7/20

मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)

17.7.2020